



राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर - 302005

email.add.dir.rghs@rajasthan.gov.in

Ph. No. 0141-2744570

No.:F.1(240)RGHS/21-22/ 820

Date: 11-01-22

OFFICE -MEMORANDUM

विषय:- दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त सेवारत राज्यकर्मियों की आरजीएचएस अंशदान कटौती के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की राज्य बजट वर्ष 2021 में बिन्दु संख्या 244 पर की गयी घोषणा "Central Government Health Scheme (CGHS) के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी-निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी-अधिकारियों तथा पेंशनरों को **cashless** एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से CGHS की तर्ज पर Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) लागू करने की मैं, घोषणा करता हूँ।" के क्रियान्वयन में वित्त विभाग के Notification No. 5(5)FD/Insurance/2020 Jaipur, Dated: 09.04.2021 के द्वारा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के द्वारा नकद-विहीन इन्डोर, डे-केयर, आउटडोर चिकित्सा राहत प्रदान की जा रही है।

दिनांक 01.07.2021 से नकद विहीन इन्डोर और डे-केयर चिकित्सा लाभ एवं दिनांक 01.11.2021 से नकद विहीन आउटडोर चिकित्सा राहत RGHS के अन्तर्गत प्रारम्भ कर दी गयी है। 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों पूर्व में राजमेडिकलेम बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे थे, उन्हें चिकित्सा लाभ अब अनिवार्यतः राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्राप्त होंगे। इन कार्मिकों को आरजीएचएस के अन्तर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त सेवारत राज्यकर्मियों राजमेडिकलेम बीमा पॉलिसी तथा आरजीएचएस में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। RGHS का विकल्प चुनने वाले 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों को अपनी वेतन श्रृंखला (स्लैब) के अनुसार वेतन से प्रतिमाह अंशदान की कटौती वित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक

स्वाति



S(5)FD/Insurance/2020 Part II दिनांक 07.07.2021 के अनुसार जुलाई देय अगस्त 2021 के वेतन से करवायी जानी थी।

जिन कार्मिकों के द्वारा वेतन से अंशदान की कटौती किसी कारणवश नहीं करवायी गयी थी, और जो अब आरजीएचएस का विकल्प चुन कर योजना के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे कार्मिक निर्धारित वेतन स्लैब के अनुसार अगले माह के वेतन से आरजीएचएस अंशदान की कटौती (जुलाई 2021 देय अगस्त 2021 से अब तक के अंशदान सहित) करावें। वे आरजीएचएस विकल्प का चयन फरवरी देय मार्च 2022 के वेतन आहरण तक कर सकेंगे। फरवरी देय मार्च 2022 के पश्चात् आरजीएचएस में शामिल होने हेतु अंशदान कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। विकल्प पत्र भरने वाले कार्मिकों के जुलाई 2021 के वेतन से अनिवार्य अंशदान कटौति करना आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा। यदि किसी कार्मिक के द्वारा आरजीएचएस कटौति बंद की जाती है तो उसे आरजीएचएस का लाभ देय नहीं होगा। जुलाई 2021 देय अगस्त 2021 से अब तक सम्पूर्ण अंशदान की प्राप्ति हुए बिना लाभार्थी आरजीएचएस के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

दिनांक 07.07.2021 के पश्चात् नवनियुक्त राज्य कार्मिक जो आरजीएचएस का विकल्प चुन कर योजना में शामिल होना चाहते हैं, वे अपने आहरण वितरण अधिकारी को इस आशय का विकल्प पत्र प्रस्तुत कर प्रथम वेतन आहरण माह से आरजीएचएस अंशदान की कटौती करवा सकेंगे। वित्त (बीमा) विभाग के स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 20.07.2021 के अनुसार यह स्पष्ट है कि परिवीक्षा काल में अंशदान कटौती नियत वेतनमान के स्थान पर जिस पद पर नियुक्ति हुई है के मूल वेतन के अनुसार निर्धारित स्लैब के अनुसार करवानी जानी है।

जिन सेवारत राज्यकर्मियों का वेतन Paymanager/PRI Paymanager के माध्यम से आहरित होता है, की अंशदान कटौती ई-ग्रास चालान के माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगी। अतः आवश्यक है कि ऐसे कार्मिक आरजीएचएस अंशदान एरियर की राशि Paymanager/PRI Paymanager के माध्यम से ही अगले माह के वेतन के साथ ही जमा करावे।



(शिप्रा विक्रम)

परियोजना निदेशक

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

जयपुर

No.:F.1(240)RGHS/21-22/ 821-834

Date: 11-01-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त वरि. अति./अति. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
8. अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग समस्त संभाग/जिला कार्यालयों को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की क्रियान्विति सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने कार्यालय के अधीन समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को आवश्यक रूप से ई-मेल/पत्र के माध्यम से प्रेषित करेंगे।
9. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग को भेजकर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
12. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
13. आई.डी वरियानी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, पे-मैनेजर, एन.आई.सी को भेजकर लेख है कि पे-मैनेजर पर यह व्यवस्था करावें कि जिन कार्मिकों के द्वारा आरजीएचएस का विकल्प चुन लिया गया है उनकी आरजीएचएस की कटौति के पश्चात् ही वेतन आहरित किया जावे।
14. सहायक प्रोग्रामर, (आरजीएचएस) को आरजीएचएस वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।



परियोजना निदेशक
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना